बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/कोर्ट–07–12/2003 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 उदय शंकर भगत तत्कालीन सिविल सर्जन दरभंगा (सेवानिवृत) सम्प्रति स्वर्गीय के विरूद्ध कतिपय आरोप यथा आदेश/निर्देशों का उल्लंघन करने अवैध रूप से नियुक्ति करने तथा अनियमित रूप से दवा क्रय करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 417(3) दिनांक 5.4.2002 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 692(9) दिनांक 13.5.05 द्वारा पूर्ण पेंशन जब्त करने का दंड दिया गया था।

2. उपर्युक्त अधिसूचना सं0 692(9) दिनांक 13.5.05 द्वारा दिये गये दंड तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक 369(3) दिनांक 19.3.02 द्वारा डा0 उदय शंकर भगत (वादी) द्वारा विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8315/2003 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 11.11.2014 को न्यायादेश पारित किया गया।

उपर्युक्त न्यायादेश का operative part निम्नलिखित हैः–

3. Since I am of the view that the order dated 19.3.2002 cannot be sustained, the consequential notification dated 13.5.2005 (Annexure-21) can also not be sustained. Notification dated 13-5-2005 is bade also for the reason that it does not mention even the date of the enquiry report submitted on the basis of second enquiry by the conducting officer. The report of the Inquiry officer has not been brought on record. For these reasons the impugned order dated 19.3.2002 (Annexure-9) and the Notification dated 13-5-2005 (Annexure-21) are quashed. The respondents are directed to pay to the subsituted petitioners being legal heirs of the original petitioner all pensionary benefits consequent upon quashing of the impugned orders dated 19.3.2002 and 13.5.2005. In normal course, I would have directed the authority to pass an order afresh on the report of the previous Inquiry officer dated 1.6.1998 and take a final decision strictly in accordance with law, I refrain from doing so, because the matter had remained pending after submission of the enquiry report on 1.6.1998. All the pensionary benefits which the substituted petitioners would be entitled to consequent upon

the quashing of the impugned orders should be paid to the substituted petitioners within a period of three months from today, failing which it shall earn interest at the rate of 12% per annum from the date the petitioner had become entitled to receive such amount till the date of actual payment.

उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 692(9) दिनांक 13.5.05 को निरस्त किया जाता है।

तदालोक में स्व0 डा0 उदय शंकर भगत के सेवांत लाभ इत्यादि का भुगतान उनके विधिक उत्तराधिकारी को प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई विभागीय स्थापना शाखा द्वारा की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: **104(9)** /स्वा0, पटना , दिनांक: **28/01/2016**

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/ सिविल सर्जन दरभंगा/भोजपुर आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– स्व0 डा0 उदय शंकर भगत तत्कालीन सिविल सर्जन दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत चाण्क्यपूरी, राजा बाजार, बेली रोड, पटना–14 द्वारा श्रीमती लीला शंकर, 109 रत्न ज्योति अपार्टमेंट सेक्टर–3, बसुन्धरा, गाजियावाद, उत्तरप्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10,एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि स्व0 उदय शंकर भगत की पत्नी श्रीमती लीला शंकर को सेवान्त लाभ इत्यादि का भुगतान सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव